

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1684 / 2012 / बीकानेर.
2. अपील संख्या – 1685 / 2012 / बीकानेर.

मैसर्स बसन्ती माइक्रोनाईजर्स,
G-1-272, I G C खारा, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राजेश कुमार अग्रवाल,
अधिकृत प्रतिनिधि
श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19 / 02 / 2016

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 113 व 112/आरवैट/बीकानेर/2011-12 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 07.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।
2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण श्री राजकुमार मित्तल, जो कि अपीलार्थी फर्म की प्रो० श्रीमती नीरू देवी के पति हैं, की उपस्थिति में दिनांक 11.03.2011 को किये जाने पर मौके पर व्यवसाय से सम्बन्धित लेखा-पुस्तकें नहीं पायी गयीं। मौके पर दो रजिस्टर पाये गये, जिनमें वर्ष 2009-10 व 2010-11 से सम्बन्धित उचन्ति बिक्री किया जाना पाया गया, जिनका सत्यापन लेखा-पुस्तकों से करवाने में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा असमर्थता जाहिर की गयी। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उक्त अघोषित बिक्री के सम्बन्ध में कर व शासित आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिसों के सन्दर्भ में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 28.03.2011 को जवाब प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया



लगातार.....2

गया कि वह नोटिस के तथ्य स्वीकार करते हैं तथा शास्ति व कर की रकम जमा करवाना चाहते हैं। उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.03.2011 को कर निर्धारण वर्ष 2009-10 व 2010-11 के पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर व शास्ति के रूप में क्रमशः रुपये 24,543/- व रुपये 32,398/- की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2012 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वे की कार्यवाही स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में नहीं किये जाने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 51 की पालना के अभाव में प्रथम दृष्टया अविधिक हो जाती है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 19 टैक्स अपडेट पार्ट-6 पेज 256 मैसर्स डायमण्ड मार्केटिंग एजेन्सी, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, वृत्त-द्वितीय, जयपुर एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड का न्यायिक दृष्टान्त 28 टैक्स अपडेट पार्ट-7 पेज 295 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स विकास ट्रेडर्स, जोधपुर प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच मौके पर लेखा-पुस्तकें, बिल बुक आदि नहीं पायी गयी। सर्वे की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थी फर्म की प्रोपराईटर श्रीमती नीरू देवी के पति श्री राजकुमार मित्तल की उपस्थिति में किया गया, जो कि फर्म के मैनेजर की हैसियत रखते हैं। मौके पर पाये गये माल की फर्द तैयार की जाकर व्यवहारी को उपलब्ध करवाई गई, जिस पर व्यवहारी के हस्ताक्षर मौजूद हैं। सर्वे की कार्यवाही श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल व श्री दीनदयाल की उपस्थिति में की गयी है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन उचित नहीं है कि सर्वे की कार्यवाही में नियम 51 की पालना नहीं की गयी है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए कर व शास्ति जमा कराने की स्वीकारोक्ति की गयी है। माननीय



राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 25 Tax Update 20 मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम स.वा.क.अ. वार्ड-प्रथम जालौर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि व्यवहारी/अधिकृत प्रतिनिधि की स्वीकारोक्ति के पश्चात प्रकरण में किसी प्रकार की जांच किया जाना अपेक्षित नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरणों में विभागीय टीम द्वारा अपीलार्थी फर्म की प्रो० श्रीमती नीरू देवी के पति श्री राजकुमार मित्तल की उपस्थिति में व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने के दौरान मौके पर लेखा-पुस्तकें एवं बिल बुल नहीं पाये गये। जबकि दो रजिस्टर पाये गये, जिनमें वर्ष 2009-10 व 2010-11 की बिक्री एवं मजदूरी से सम्बन्धित हिसाब अंकित पाया गया। लेखा-पुस्तकें व बिल बुक के सत्यापन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा असमर्थता जाहिर की गयी। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए, कर व शास्ति राशि जमा कराने की सहमति व्यक्त की गयी। उक्त स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए, अघोषित बिक्री पर नियमानुसार कर व शास्ति आरोपण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। अपील स्तर पर अपीलार्थी का यह कथन कि सर्वे की कार्यवाही में नियम 51 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है, स्वीकार्य नहीं है। सर्वे की समस्त कार्यवाही अपीलार्थी व दो गवाहान की उपस्थिति में की गयी है। अपीलार्थी फर्म की प्रो० श्रीमती नीरू देवी के पति श्री राजकुमार मित्तल, जो कि फर्म में मैनेजर की हैसियत से कार्य करते हैं तथा फर्म का समस्त कार्य वे ही देखते हैं। भौतिक सत्यापन की फर्द पर श्री राजकुमार मित्तल के हस्ताक्षर हैं, फर्द की प्रति श्री राजकुमार मित्तल को उपलब्ध करवाई गई है। गवाह के रूप में श्री दीनदयाल निवासी 14सी, खारा, बीकानेर एवं श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी 120, समतानगर, बीकानेर के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन उचित नहीं है कि सर्वे की कार्यवाही में नियम 51 की पालना नहीं की गयी है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 का नियम 51 निम्न प्रकार है :-



51. Procedure for search and seizure under section 75.

- (1) The officer who carries out a search under section 75, shall adopt the following procedure,-
 - (a) The officer should record reasons as to why under the facts and circumstances of the case, search is necessary.
 - (b) Before making a search, such officer shall call upon two witnesses to attend and witness the search and may issue an order in writing to them to do so.
 - (c) The dealer or his business manager or any other person performing any activity relating to the business at the business place, building or other premises searched, shall be deemed to be the person in-charge of such premises and shall also be permitted to witness the search.
 - (d) If any building or place is an apartment in the actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public, the officer shall afford her every reasonable facility to withdraw.
 - (e) Search of person may be made, but in case of a woman it shall be carried out by a woman.
 - (f) In case of seizure of goods, articles and documents under this sub-rule, the procedure of sub-rule (2) shall be followed.
- (2) The accounts, registers, documents, goods and articles may be examined without calling witnesses by the officer empowered under section 75, but in the case of seizure thereof, the following procedure shall be adopted,-
 - (a) seizure shall be made in the presence of two witnesses.
 - (b) seizure memo shall be prepared by such officer in Form VAT-46 and reasons for seizure shall be recorded therein.
 - (c) seizure memo shall also contain the list of the accounts, registers, goods, articles and the documents seized.
 - (d) seizure memo shall be signed by the officer who effects seizure, by the dealer or his business manager or person in-charge of the business and by the witnesses.
 - (e) The officer making seizure shall tender one copy of the seizure memo to the dealer or his business manager or the person in-charge of the business premises, as a token of receipt, and one copy thereof shall be forwarded by him to the Commissioner within twenty four hours after such seizure is made.
- (3) The books of accounts or other documents maintained in the form of electronic record as defined in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Indian Information Technology Act, 2000, may also be seized. In such cases the dealer or his business manager or person incharge of the business or person incharge of these electronic records shall be bound to disclose the password and such other information as may be asked for by the authorized officer(s).



8. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 नियम 51 में प्रावधित समस्त कार्यवाही किया जाना कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से स्पष्ट है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में अपना अपराध स्वीकार करते हुए कर व शास्ति जमा कराने की स्वीकारोक्ति की गयी है, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ 52 पर संलग्न है, निम्न प्रकार है :-


“उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हमारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 11.3.011 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण फर्म के नियमित लेखा पुस्तकें व्यवसाय स्थल पर नहीं पाये जाने पर दो रजिस्टर जिनमें बिक्री व मजदूरी का हिसाब अंकित था। अभिगृहित किये गये थे। उक्त दस्तावेजों की अंकेक्षण की जाकर जो नोटिस दिया गया है वह तथ्य हमें स्वीकार है। वाद का निपटारा आज ही करने का कष्ट करें। मैं शास्ति व कर की रकम जमा करवाना चाहता हूं। तथा अभिग्रहत दस्तावेज वापस लौटने की कृपा करें। मेरे इस मामले में अन्य कोई सुनवाई नहीं चाहता हूं।”

9. उक्त स्वीकारोक्ति के पश्चात प्रकरण में किसी प्रकार की अग्रिम जांच/ कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 25 Tax Update 20 मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम जालौर में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के पश्चात प्रकरण में किसी प्रकार की अग्रिम जांच की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है, इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों से सम्बन्धित प्रकरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त निर्णय अपीलार्थी व्यवहारी को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

10. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए, कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेशों में किसी प्रकार की विधिक/तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की जाने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें बलहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।


13.02.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य